

**संचालनालय चिकित्सा शिक्षा**  
**मध्य प्रदेश**

क्रमांक <sup>2710</sup> /04/प्रवेश /संचिशि

भोपाल दिनांक 13/10/2015

**// सूचना //**

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में दायर विशेष रिट याचिका डब्लू.पी. क. (सी) 9663/2015 में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/10/2015 के परिपालन में निजी चिकित्सा महाविद्यालय आर.के.डी.एफ. कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर भोपाल की स्टेट कोटा की सभी श्रेणियों की एम.बी.बी.एस. की 63 सीटों पर स्कूटनी, प्रोवीजनल आवंटन एवं प्रोवीजनल प्रवेश की प्रक्रिया (माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्देशानुसार) की कार्यवाही का अनंतिम कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

स्थान :- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल

समय :- प्रातः 10 बजे से

स क्र०	तिथि एवं समय	विवरण	अभ्यर्थी जिन्हे सम्मिलित होना है	दिवस
1	13/10/2015 प्रातः 10 बजे से	प्रोवीजनल सीट आवंटन, पुर्नआवंटन एवं प्रोवीजनल प्रवेश की प्रक्रिया  स्थल:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के ए.आई.पी. एम.टी.2015 की मेरिट अनुसार समस्त पात्र एवं इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पूर्व में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है एवं ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के शासकीय /निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टेट कोटे से प्रवेशित है।  नोट:- पूर्व के चरणों की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जो पुर्नआवंटन के इच्छुक नहीं है उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आवंटित एवं प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।	01 दिवस
2	14/10/2015 प्रातः 10 बजे से	प्रोवीजनल सीट आवंटन, पुर्नआवंटन एवं प्रोवीजनल प्रवेश की प्रक्रिया  स्थल:- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के ए.आई.पी. एम.टी.2015 की मेरिट अनुसार समस्त पात्र एवं इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पूर्व में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है एवं ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के शासकीय /निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टेट कोटे से प्रवेशित है।	01 दिवस


			<p>नोट:-</p> <p>1 पूर्व के चरणों की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जो पुर्नआवंटन के इच्छुक नहीं है उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आवंटित एवं प्रवेशित सीट यथावत रहेगी ।</p>	
--	--	--	---	--

**महत्त्वपूर्ण सूचना :-**

1. दिनांक 13/10/2015 को अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर निर्धारित तिथि के बचे हुये अभ्यर्थियों की सीट आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया अगले दिन की जावेगी। इसलिए अभ्यर्थियों के लिए यह सलाह दी जाती है कि दिनांक 14/10/2015 तक रुकने की तैयारी से आवे तथा काउंसलिंग स्थल पर संस्था की निर्धारित पूर्ण फीस की व्यवस्था के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हों।
2. सभी सीट आवंटित अभ्यर्थियों को आवंटन स्थल पर आवश्यक रूप से अपने मूल दस्तावेजों/अभिलेख एवं निर्धारित फीस के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी एवं निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय (स्टेट कोटा के अन्तर्गत प्रवेशित) में पूर्व से प्रवेशित छात्रों को उनके मूल अभिलेख/दस्तावेज संबंधित कालेज में जमा करने के प्रमाण के साथ संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति लेकर आएं।
3. अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल दस्तावेज/अभिलेख एवं उनकी कम से कम तीन स्वयं सत्यापित प्रतियाँ (फोटो कॉपी) लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है :-
  - (i) एडमिशन कार्ड- ए.आई.पी.एम.टी.-2015
  - (ii) मार्कशीट-ए.आई.पी.एम.टी.-2015
  - (iii) 10+2 मार्कशीट-2015
  - (iv) 10 वीं मार्कशीट/सर्टिफिकेट जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
  - (v) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
  - (vi) आरक्षित प्रवर्ग (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, विकलांग) हेतु मध्य प्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र।
  - (vii) चरित्र प्रमाण पत्र।
  - (viii) 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त अंतराल होने की स्थिति में नोटरी द्वारा जारी गैप शपथ-पत्र।
  - (ix) मध्य प्रदेश का मूल निवासी /स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जिनके लिए लागू हो)।



- (x) निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार द्वारा जारी वर्तमान वर्ष 2014-15 का आय प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषित, स्वप्रमाणित आय प्रमाण पत्र (जिनके लिए लागू हो)।
- (xi) संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज/अभिलेख जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो (केवल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित शासकीय स्वशासी एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टेट कोटे के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों के लिए मान्य होगा। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर स्थित एवं मध्य प्रदेश राज्य की अन्य संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों को सीट आवंटन एवं प्रवेश के समय अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।
- (xii) प्रवेश नियम 2015 में उल्लेख अनुसार अभ्यर्थी का एक पोस्ट कार्ड साईज फोटों एवं पासपोर्ट साईज फोटों की 30(तीस) प्रतियाँ।
4. प्रतिभूति निक्षेप :- चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसलिंग के दौरान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रतिभूमि निक्षेप के रूप में रूपये 10,000/- (रु. दस हजार) का डिमांड ड्राफ्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को प्रतिभूमि निक्षेप के रूप में रूपये 2,000/- (रु. दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उन अभ्यर्थियों को जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 3,00,000/- (रु. तीन लाख) से ज्यादा है, उन्हें प्रतिभूमि निक्षेप के रूप में रूपये 2,000/- (रु. दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल ( डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, भोपाल) के नाम से देय होगा।
5. एडमिशन के समय संस्थानों की निर्धारित फीस डिमांड ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक अथवा नगद के रूप में जमा कराई जा सकती है। सीट का आवंटन उन्हीं अभ्यर्थियों को किया जायेगा जो सीट आवंटन के समय सम्पूर्ण फीस जमा कर सकें। सम्पूर्ण फीस जमा न करने पर सीट आवंटन नहीं की जायेगी।
6. प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या एवं कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का संशोधन संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर प्रदर्शित किया जावेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक दिन निरन्तर वेबसाइट के संपर्क में रहें।

  
 संचालक चिकित्सा शिक्षा  
 मध्य प्रदेश